न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का सेरोली बनाम समयासिंह S/o वीरासिंह मीना मोती का नंगला

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 भू.रा.अ. 1956

प्रकरण संख्या – 89/RA/90 निर्णय दिनांक 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मोती का नंगला की आ.ख.नं. 338 कुल रकबा 0-14 किस्म जमीन गैरमुमकिन में से 0.02 रकबे पर श्री समयासिंह S/o वीरबल मीना पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर घेरा बनाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का सेरोली द्वारा दिनांक 9/X/18 .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय साईट भू.अ.निरी. हीरवाड़ा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी समयासिंह S/o वीरबल जाति मीना निवासी मोती का नंगला राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... समयासिंह उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 338 रकबा 0-14 में से 0.02 रकबे किस्म गैरमुमकिन है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा सौरसायम को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 12 paise का 50 गुणा 6/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी सेरोली 51X भू.अ.निरी. खेरलीरेल .... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.

प्रतिलिपि – प. ह.

रो. र. सं. ... 78 ...
सन् 2018-19 ... 6/-
जमा ...

11/3/19

कठूमर (अलवर) राज.